

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

क्रमांक:-एफ 3 (C)II()राईस/अका./आ.वि.प्रवेश/2021/1728

जयपुर, दिनांक: 01/10/2021

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1392 दिनांक 01.09.2021 द्वारा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2021 निर्धारित की गई थी।

आवासीय विद्यालयों की प्रवेश समीक्षा की गई तथा तीन नये आवासीय विद्यालय संचालित होने के कारण प्रवेश का शत प्रतिशत करने के लिए आवासीय विद्यालयों में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 की जाती है।

आवासीय विद्यालयों की वरीयता सूची निम्नानुसार जारी की जावेगी:-

क्र.सं.	जारी होने वाली सूची	प्रस्तावित नियत दिनांक
1	षष्ठम सूची	15 अक्टूबर 2021
2	सप्तम सूची	31 अक्टूबर 2021

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं सचिव राईस

क्रमांक:-एफ 3 (C)II()राईस/अका./आ.वि.प्रवेश/2021/1729-37 जयपुर, दिनांक: 01/10/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर (संबंधित)।
5. संयुक्त निदेशक (I.T) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करने काश्रम करावें।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
7. उपनिदेशक (प्रचार) मुख्यावास।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय समस्त।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
राईस